न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 60/2022(2022/204)

1. मंजू देवी जैनी पत्नी श्री नोरतमल जैन निवासी जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

---प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय केकडी।
2. प्रहलाद दास पुत्र बालदास जाति साधू।
3. बालू पुत्र हरजी जाति माली।
4. नोरत माल पुत्र शंकरलाल जाति जैन।

समस्त निवासीगण जूनिया तहसील केकडी जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित:–

प्रार्थी वकील :– श्री इमदाद अली

पेराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक 14.5.2022

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत मे पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रकरण संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम जुनिया तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबन्दी संवत 2073–76 मे दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:–

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (हे.)	किस्म
1553–702	7206/3675 7208/3683	0.30 0.03	चा.उ जाव उ जा.उ.
	कुल किता 2	रकबा 0.33हैक्टर	
1552–702	3684	0.03	चा.उ जाव उ
541–530	3679	0.25	बारानी 3

उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थया की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जो कि प्रार्थी के नाम बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रार्थीया अपनी कृषि आराजीया मे तामिरात व तारबंदी का कार्य करवाना चाहती है जिसके लिए उसके कब्जे स्वामित्व आधिपत्य वाली उपरोक्त वर्णित आराजीया तमे तामिरात व तारबदी करवाते समय आस पडोसीयो से सीमा को लेकर किसी प्रकार का विवाद नही हो इसलिए प्रार्थीया अपीन खातेदारी की आराजीयात पर तारबंदी हेतु सीमाकंन करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहती है प्रार्थीया ने प्रतिवादी संख्या 1 के कार्यालय मे उक्त आराजी की स्वाथी पत्थरगढी करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी संख्या 1 ने श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निम्न वर्णित आराजीयात का मौके पर जाकर सीमा ज्ञान नही किया तथा सीमा ज्ञान के प्रार्थना पत्र हल्का पटवारी द्वारा यह कहते हुए की श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय केकडी द्वारा आदेश दिलवाने पर ही उक्त आराजी का सीमाकंन

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:58:55 IST
Reason: Self Attested

अध्यक्ष ... अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

पत्थरगढी की जावेगी इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा सीमाकंन कर पत्थरगढी करने से मना करने के उपरांत श्रीमान के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है प्रार्थी द्वारा उक्त वर्णित आराजीयात की स्थायी पत्थरगढी कराने हेतु आदेश प्रदान करने का निवेदन अपने प्रार्थना पत्र मे किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से पत्थरगढी कराने में कोई आपत्ति नही होना बताया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब सरकार में राजहित प्रभावित नही होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है।खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम जूनिया तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 1553–702 के कुल किता 2, कुल रकबा 0.33 तथा खाता संख्या नया–पुराना 1552–702 के खसरा नंबर 3684, रकबा 0.03हैक्टर तथा खाता संख्या नया–पुराना 541–530 के खसरा नंबर 3679, रकबा 0.25हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत मे सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
लोक अदालत बैंच
तालुका विधिक सेवा समिति
केकड़ी जिला–अजमेर

(विकास पंचोली)
सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत
(तालुका विधिक सेवा
केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.06.22 11:38:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner